



# कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला।

E-mail:- cf-gumla@gov.in / cf-gumla@gmail.com, Ph. No :- 06524-469592



पत्रांक 1301 / दिनांक 25-07-2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,  
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय :- मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफटीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय का पत्रांक 561 दिनांक 21.06.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत लोहरदगा वन प्रमण्डल अन्तर्गत मौजा- बगडू, भूसाड़ एवं हिसरी में बॉक्साईट खनन हेतु 9.69 हे० (7.52 हे० + 2.17 हे० सेफटीजोन एरिया सम्मिलित) वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 852 दिनांक 17.05.2024 से समर्पित किया गया था। भवदीय के प्रासंगिक पत्र के आलोक में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 1249 दिनांक 28.06.2024 से पत्र में वर्णित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कर अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय में समर्पित किया है, जो निम्नवत है :-

क्र०	शर्त	अनुपालन
1	2	3
1.	वन प्रमण्डल पदाधिकारी के पार्ट- II में Working Plan prescription नहीं दर्शाया गया है।	पार्ट- II में Working Plan prescription दर्शाया दिया गया है।
2.	प्रस्ताव के साथ मौजा मैप (आरेखन कर) अपलोड/ संलग्न नहीं किया गया है।	मौजा मैप (आरेखन कर) अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।
3.	Land Schedule duly authenticated by revenue official अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।	Authenticated land Schedule अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।
4.	Statement showing details of forest area involved in the proposal (land schedule) अपलोड/ संलग्न नहीं किया गया है।	Area Statement अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।
5.	डालटेनगंज वन प्रमण्डल, डालटेनगंज द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निर्गत उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।	डालटेनगंज वन प्रमण्डल, डालटेनगंज द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण हेतु निर्गत उपयुक्तता प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।
6.	वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची के मौजा-सुरसांग में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित पैच 05हे० के कम है, जो वन (संरक्षण एवं	Total area for forest diversion is 9.69 ha for Bagru mine. Out of that 7.52 ha is

	<p>संवर्धन) अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अभिरूप नहीं है।</p>	<p>the forest area and 2.17 ha is the safety zone area. Earlier we have applied for Forest diversion of 7.52 ha forest area only excluding safety zone and we have already transferred 7.52 ha CA land to Forest department and the same area of CA land (7.52 ha) has been registered and Mutated in the name of Forest Department earlier. Then we received EDS from PCCF, Nodal office to include safety zone of 2.17 ha also in the diversion proposal as per guideline. Accordingly, we identified CA land for 2.17 ha area for diversion proposal in Mauza Sursang, Dist- Gumla adjacent to the existing forest area. We received Land Suitability certificate, LPC, NEC etc. from different competent Govt. authorities for transferring 2.17 ha CA land to Forest department. This CA land of 2.17 ha has already been registered and mutated in the name of the project proponent (Hindalco). The process for transferring this 2.17 ha CA land to Forest department is in process.</p> <p>As we need only 2.17 ha CA land for the diversion proposal for safety zone, we have registered and mutated 2.21 ha CA land which is even more than our safety zone diversion area requirement of 2.17 ha. A letter for justification has also been uploaded in the additional document list on Parivesh Portal.</p>
7.	<p>प्रस्तावित वनभूमि में पड़ने वाले वृक्षों की गणना सूची (संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी का सत्यापित प्रति) अपलोड/संलग्न नहीं किया गया है।</p>	<p>वृक्षों की गणना सूची अपलोड कर दिया गया है। हार्ड कॉपी संलग्न।</p>
8.	<p>KML file में Forest &amp; Non- forest land दर्शाया नहीं गया है।</p>	<p>KML file में Forest &amp; Non- forest land दर्शाया दिया गया है।</p>
9.	<p>KML file में विभिन्न Component को नहीं दर्शाया गया है।</p>	<p>KML file में विभिन्न Component को दर्शाया दिया गया है।</p>




10.	<p>पार्ट-I में अंकित Component wise breakup &amp; Mining plan में भिन्नता है।</p>	<p>Mining plan has been prepared and approved by IBM, Ranchi for the total mine area of 75.41 ha. The OB dump which is mentioned in Mining plan is 1.06 ha in forest land which has been created before 1980 (before 1980 Forest conservation ACT was not applicable) in the broken area. Total Forest area is 19.56 ha in Bagru mine. Out of 19.56 ha forest area, an area for current forest diversion proposal is 9.69 ha (7.52 ha is the forest area for current diversion and 2.17 ha is the safety zone area) and Broken area is 9.87 ha (broken before 1980) for Bagru mine. We have given component wise break up for an area of only 9.69 ha for which forest diversion has been applied whereas in the approved Mining plan the component wise break up has been given for the entire mine area of 75.41 ha. The Broken area has been included in the non-forest land. A letter for justification has also been uploaded in the additional document list on Parivesh Portal.</p>
-----	---	--

अतः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 1249 दिनांक 28.06.2024 से संलग्न अनुपालन प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर समर्पित की जा रही है।

अनु :- यथोक्त।

आपका विश्वासी,

  
 वन संरक्षक,  
 प्रादेशिक अंचल, गुमला।  
 25/7/24